

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता  
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 22/2025  
वाद पत्र अंधारा :- 88 आरटीए

रणवीर सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ राज0. -वादी

बनाम्

1. नक्षत्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
2. रमनदीप कौर पुत्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया

-प्रतिवादीगण

दिनांक :- 17.2.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानिया वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री संजय सहू वकील प्रतिवादी स 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं यह डिक्री दी जाती है कि चक न 2 आई.डी.जी ज.स. 2073-2076 के खाता संख्या 119/39 मे 1.816 है कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से प्रतिवादी स 1 नक्षत्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह का नाम कलमजन किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे

नोट:- बैंक बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज.....X.....नल.....X.....मुब्लिक.....X.....निल.....X.....बाबत.....X.....निल.....X.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक.....X.....अदा करें।  
बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....17.2.2025.....जारी किया गया।

( जय कौशिक )

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
मंगरिया